



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का

अधिकार

क्र०/मा०चि०/ 211
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक.....
10-01-2024

महाप्रबंधक
म०प्र० जल निगम
मर्यादित परि.कि.ई सिंगरौली

विषय:- सिंगरौली जिले में गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु 4.8959 हे० वन भूमि मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली को उपयोग पर देने बावत्। (Proposal No. FP/MP/WATER/151775/2022)

संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MBP048/2023-BHO दिनांक 23.12.2023
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पृष्ठा. क्रमांक/एफ-5/1266/2023/10-11/5430 भोपाल, दिनांक 26.12.2023

-000-

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (1) से गोण्ड देवसर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सिंगरौली में प्रभावित रकवा 4.8959 हे० वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति जारी की गयी है। जिसमें वन परिक्षेत्र जियावन का कक्ष क्र० PF 832, 833, 747, 746, 745, 749, 750, 748, 763, 751, 755, 752 वनभूमि कुल रकवा 4.8959 हे० वन भूमि प्रभावित हो रही है।

2. प्रथम चरण की (सैद्धांतिक) सशर्त स्वीकृति के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	मद का नाम	रकवा (हे० में)	कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि	पर्यवेक्षण शुल्क की राशि	कुल योग
1	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	4.8959	60,15,054 /-	-	60,15,054 /-
			60,15,054 /-	-	60,15,054 /-

3. क्षतिपूर्ति वनीकरण रकवा 4.8959 हे० (out of 67.30 हे०) की राशि, प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/151345/2022 से जमा करने हेतु लेख किया गया है। एवं एन.पी.व्ही. की राशि रु. 60,15,054 /- (रु. साठ लाख पन्द्रह हजार चौवन मात्र) जिसे कैम्पा मद में भारत सरकार की वेबसाईट के माध्यम से जमा कराकर चालान एवं यू.टी.आर. की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।

4. प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं वचन पत्र चार प्रतियों में टेबुलर फार्म में प्रस्तुत करें, साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामांतरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद की प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सिंगरौली के प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जा सके।

पृ०क्र०/मा०चि०/ 212
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक रीवा, वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली
सिंगरौली दिनांक 10-01-2024

S.M.
for n.a.
Party



वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली